झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1089 वर्ष 2017

मैसर्स जी0के0सी0 प्रोजेक्ट लिमिटेड अपने परियोजना प्रबंधक, ए0 सुरेश बाबू, पे0 ए0 राधाकृष्ण के द्वारा, वर्तमान निवासी–सूरजदेव नगर, हर्षविहार कॉलोनी, डाकघर एवं थाना–सरायढ़ेला, जिला–धनबाद

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य

2. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान, झारखंड सरकार, नेपाल हाउस, डाकघर एवं थाना–डोरण्डा, जिला–रांची

3. प्रमाणपत्र अधिकारी, खान–सह–उप निदेशक, खान, संथाल परगना डिवीजन, दुमका, डाकघर, थाना एवं जिला–दुमका

4. जिला खनन अधिकारी, जामताड़ा, डाकघर, थाना और जिला–जामताड़ा

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री सर्वेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता

उत्तरदातागण के लिएः– ए0जी0 के जे0सी0

2/18.04.2018 यह मामला राज्य को नोटिस जारी करने के बाद 21.02.2017 को दायर किया गया था। कोई जवाबी हलफनामा अभी तक दायर नहीं किया गया है। आदेश की

प्रकृति को देखते हुए जो मैं इस मामले में पारित करना चाहता हूँ और चूंकि यह एक उत्प्रेषण रिट है, जहां एक हलफनामा अर्ध–न्यायिक आदेश का पूरक नहीं हो सकता है, इसलिए इस रिट आवेदन को जवाबी हलफनामे के लिए जोर दिए बिना निपटाया जाता है।

याचिकाकर्ता ज्ञापन संख्या 9 में निहित 29.09.2016 दिनांकित आदेश को चुनौती दे रहा है जिसके द्वारा प्रमाणपत्र अधिकारी ने प्रमाण पत्र की राशि की पुष्टि की और याचिकाकर्ता को प्रमाण पत्र मामला संख्या 2/2014–15 के संबंध में रू0 89,03,833/– का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

याची के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याची 29.09.2016 को उपस्थित नहीं हो सका जिसके परिणामस्वरूप एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है, जिसमें याची को प्रमाण पत्र की पुष्टि करने के बाद रू0 89,03,833/– का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। वह प्रस्तुत करता है कि आदेश पूरी तरह से संदिग्धार्थ है और प्रमाण पत्र अधिकारी द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है। वह अंत में प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि आदेश अतार्किक है, इसलिए इसे रद्द किया जा सकता है।

राज्य की ओर से पेश हुए ए0जी0 के जे0सी0 का कहना है कि याचिकाकर्ता 29.09.2016 को उपस्थित नहीं हुआ, जो कि निर्धारित तिथि थी, इस प्रकार प्रमाण पत्र अधिकारी के पास याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में आदेश परित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह आगे प्रस्तुत करती है कि यह आदेश अपील करने योग्य है।

पक्षकारों को सुनने के बाद और आक्षेपित आदेश के परिशीलन के बाद, मैं पाता हूँ कि याचिकाकर्ता दिनांक 29.09.2016 को उपस्थित नहीं हुए जिसके परिणामस्वरूप, प्रमाणपत्र अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र की पुष्टि के बाद 89,03,833.00/– रूपये की राशि जमा करने के लिए याचिकाकर्ता को निर्देश देते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया गया था। आक्षेपित आदेश से, मुझे यह भी पता चला है कि कोई कारण नहीं बताया गया है कि प्रमाणपत्र अधिकारी ने कैसे निष्कर्ष निकाला है कि याची पूर्वोक्त राशि का भुगतान करने का हकदार है। आक्षेपित आदेश से यह भी स्पष्ट है कि याची ने अपने दायित्व से इंकार करते हुए बिहार और उड़ीसा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 9 के तहत याचिका दायर की थी, लेकिन आक्षेपित आदेश में इसके बारे में न तो कोई चर्चा की गई है, और न ही उसमें उल्लिखित आधारों पर विचार किया गया था।

प्रमाणपत्र अधिकारी को, भले ही प्रमाणपत्र देनदार अनुपस्थित हो, बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 9 के तहत दायर आपत्ति पर विचार करना होगा और फिर कारण देते हुए एक स्वतंत्र निष्कर्ष पर आना होगा कि वह बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 9 के तहत आपत्ति को खारिज क्यों किया है।

इस प्रकार, उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रमाण पत्र अधिकारी द्वारा दिनांक 29.09.2016 को पारित आदेश को अपास्त किया जाता है। यह मामला प्रमाण पत्र अधिकारी के पास भेजा जाता है। इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ याचिकाकर्ता 19 मई, 2018 को या उससे पहले प्रमाण पत्र अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा। इसके बाद प्रमाण

पत्र अधिकारी एक तारीख तय करेगा और याचिकाकर्ता द्वारा दायर बिहार और उड़ीसा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 9 के तहत याचिका पर विचार करने के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक तर्कसंगत आदेश पारित करेगा। यदि याचिकाकर्ता 19 मई, 2018 को या उससे पहले या प्रमाणपत्र अधिकारी द्वारा निर्धारित किसी भी बाद की तारीख में पेश नहीं होता है, तो प्रमाण पत्र अधिकारी कानून के अनुसार याची की अनुपस्थिति में आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ इस रिट आवेदन का निपटारा किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)